विविध **बैंक प्रकरण संख्या 50/2018** (RCMS 2018/00096) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. **मैसर्स गणपति रजाई गद्दा उद्योग–प्रो. मंजू बाला शर्मा पत्नी संजय शर्मा** 2. रोशन लाल पुत्र छाजू राम 3. राज **कुमार शर्मा** पुत्र छाजू राम 4. **संजय शर्मा** पुत्र राज कुमार शर्मा रहवासी 1/302 , हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2018 को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. गणपति रजाई गद्दा उद्योग –प्रो. मंजू बाला को ऋण सुविधा के रूप में 4.00 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.04.08 को स्वीकृत किया गया था जिसके गारंटर रोशन लाल, राज कुमार एवं संजय शर्मा है और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजकुमार की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 315 (क्षेत्रफल 11' गुणा 08') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर मे स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गए। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.06.2015 को 4,24,999/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.07.2015 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने को जारी किये गऐ। अप्रार्थीगण मै. गणपति रजाई गद्दा उद्योग–प्रो. मंजू बाला, रोशन लाल, राज कुमार एवं संजय शर्मा के नोटिस धारा 13(2) पर स्वयं के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं मै. गणपति रजाई गद्दा उद्योग, रोशनलाल एवं राजकुमार के नोटिस लेने से इंकार होने का अंकन के लिफाफो की प्रति भी पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई है। इसलिए अप्रार्थी राजकुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं. 315 (क्षेत्रफल 11' गुणा 08') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मै. गणपति रजाई गद्दा उद्योग–प्रो. मंजूबाला को दिनांक 30.04.2008 को 4.00 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके गारन्टर रोशन लाल, राज कुमार एवं संजय शर्मा है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राज कुमार की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 315 (क्षेत्रफल 11' गुणा 08') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 30.06.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 04.07.2015 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस पर अप्रार्थीगण मै. गणपति रजाई गद्दा उद्योग–प्रो. मंजू बाला एवं गारंटर रोश्न लाल, राज कुमार एवं संजय शर्मा स्वयं पर नोटिस की तामील स्वरूप हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं नोटिस लेने से इंकार के इन्वलेप की प्रति भी पेश की है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणियों एवं गारन्टर पर उक्त धारा 13(2) के नोटिस तामील हो चुके है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी उनके द्वारा प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 315 (क्षेत्रफल 11' गुणा 08') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.07.2015 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 04.07.2015 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण मै. गणपति रजाई गद्दा उद्योग –प्रो. मंजू बाला, रोशन लाल, राज कुमार एवं संजय शर्मा के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप हस्ताक्षरशुदा धारा 13(2) के नोटिस की प्रति रिकॉर्ड पर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजकुमार की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 315 (क्षेत्रफल 11' गुणा 08') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी राज कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं. 315 (क्षेत्रफल 11' गुणा 08') पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर (राज.) में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर